



158

न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /2017 निगरानी इ/निगरानी/शिवपुरी/22210/2017/3380

S.P. Dhakad Adv.  
18/09/2017

18-9-17

हरचरणलाल पुत्र गजाधर प्रसाद शर्मा  
निवासी ग्राम सांपरारा तहसील बैराढ़  
जिला शिवपुरी

— आवेदक

C.F-29-9-17

विरुद्ध

1. भगोली पुत्र छोटे जाटव निवासी ग्राम सांपरारा तहसील बैराढ़ जिला शिवपुरी म.प्र.
2. म.प्र. शारान

— अनावेदकगण

18/9/17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्र.क्र. 142/स्व.निगरानी/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2017 के विरुद्ध नकल प्राप्ती दिनांक 17.07.2017 से अन्दर अविध निगरानी प्रस्तुत।

18/9/17

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :-



1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्र. 25 रकबा 0.83 है, को पट्टे पर कृषि कार्य हेतु अनावेदक क्र. 1 भगोली पुत्र छोटे जाटव निवासी ग्राम सांपरारा से

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-एक/निगरानी/शिवपुरी/भू.रा./2017/3380

हरचरणलाल विरुद्ध भगोली व म.प्र. शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश   | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर   |
|------------------|--|--|
| 28-05-2019       | <p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री एस.पी. धाकड़ अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 142/स्व-निगरानी/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 04-03-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 16-07-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p align="center"></p> | <p align="center"><br/>(आर0के0 जैन)<br/>सदस्य 28/5/19</p> |